



टी. बोर्ड. भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम. सरणी (ब्रेबॉर्न रोड) कोलकाता - 700001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata - 700 001
www.teaboard.gov.in

दिनांक 14.10.2025

कार्यालय आदेश सं.17/2025

कार्यालय आदेश सं. 07/2022 दिनांक 23.02.2022 को रद्द करते हुए, अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय जापन सं. 19024//03/2021-ई-IV दिनांक 31 दिसंबर, 2021 के अनुसार, हवाई यात्रा के सभी मामलों में जहाँ हवाई यात्रा का व्यय भारत सरकार उठाती है, हवाई टिकट निम्नलिखित तीन अधिकृत ट्रेवल एजेंटों में से किसी से भी खरीदे जाएंगे:-

- i) मेसर्स बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (एलसीएल)
- ii) मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी)
- iii) इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कार्यालय जापन सं. 19024//03/2021-ई-IV दिनांक 16 फरवरी, 2022 के ज़रिए यह साफ किया है कि सरकारी खर्च पर हवाई यात्रा, चाहे वह घरेलू हो (एलटीसी सहित) या अंतर्राष्ट्रीय, प्राइवेट एयरलाइंस से की जा सकती है। हालांकि, टिकट सिर्फ ऊपर बताए गए तीन अधिकृत एजेंटों से ही खरीदे जाएंगे।

प्रशासनिक कठिनाइयाँ से बचने के लिए, नीचे दिशा निर्देश विस्तार से दी गई हैं -

1.	दौरे का अनुमोदित होने के बाद, पात्रता के अनुसार, सस्पेंस अग्रिम निकालकर, तत्सम्बन्धी अधिकारी या उनके निजी सहायक/आशुलिपिक द्वारा हवाई टिकट बुक किया जा सकता है:
2.	अनुमोदित दौरे के लिए लिया गया सस्पेंस अग्रिम, यात्रा पूरी होने के एक सप्ताह के अंदर निपटारा किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर आगे कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा:
3.	एलटीसी के लिए लिया गया सस्पेंस अग्रिम, यात्रा पूरी होने के बाद बोर्डिंग पास इत्यादि सहित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करके, एक महीने के अंदर निपटारा कर देना चाहिए।
4.	तात्कालिकता स्थिति में, अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऊपर बताए गए अधिकृत ट्रेवल एजेंटों से खुद ही हवाई टिकट बुक करें, जिसका पैसा टी बोर्ड द्वारा दावों का प्रस्तुतिकरण के बाद, हो सके तो एक सप्ताह के अंदर वापस कर दिया जाएगा।
5.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता की सचिवालय शाखा सिर्फ बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए अधिकारियों और बोर्ड सदस्यों के हवाई टिकट बुक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।
6.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता की सचिवालय शाखा भी ज़रूरत पड़ने पर या निर्देश मिलने पर उपाध्यक्ष के हवाई टिकट बुक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।


(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:-

1.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी अधिकारी (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	निदेशों का पालन करने और इसकी सामग्री को संज्ञान में लाने के अनुरोध सहित।
2.	कार्यकारी निदेशक, कूल्नूर एवं गुवाहाटी	-वही-
3.	वि स एवं मु ले अ	
4.	उ नि चा वि सिलीगुड़ी, वि अ (उ पश्चि भा), नई दिल्ली, फ स अ, पालमपुर एवं सभी क्षेत्र का/उ क्षेत्र का	
5.	उपाध्यक्ष के निजी सहायक	
6.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
7.	सचिवालय शाखा	